

(17)

अध्याय अधिकारी जो सिद्ध का कार्यालय

अभिलेख क्रम संख्या- 202(VIII) 2018-19.

यह का प्रकार- विहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(b) के तहत जारी एवं कार्रवाई से संबंधित।

2.4.18.

आरक्षण संख्या- 1110/2014/1950, दिनांक-13.08.2018  
पड़ोसिक भी अग्रज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-एड-विशेष अधिकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खण्ड/अधिनियम-110/20/2018/1950, दिनांक-03.09.18 के एवं सह-पठित राजस्व विभागीय अधिनियम संख्या-214/1950, दिनांक-09.12.1950 से निहित निर्देश के अनुपालन में वैयक्तिकता प्राप्त भूमि की जांच की गयी जहाँ जमाबंदी की जांच प्रारंभ की गयी। जांच की क्रम में इलाका राजस्व कार्यकारी एवं अधिनियम अधिभियम किया गया है कि निम्नलिखित विवरणों की भूमि -

भूमि- जोड़मोटा आकार- 186, खण्ड संख्या- 78, खती संख्या- 186, एकड़- 1.86, एकड़ की भूमि की वैयक्तिकता प्राप्त, अनुसूचित विहार (आरक्षण) सरकार के खाने की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी पत्र नौजा के मुती-18 के तहत संख्या- 01 के तहत संख्या- 111, यह जमाबंदी रिया जोड़मोटा के तहत से कायम है।

इसका कार्यकारी एवं अध्याय निदेशक द्वारा जारी जमाबंदी पत्र, जमाबंदी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सही अधिनियम किया गया है।

इसका कार्यकारी एवं अध्याय निदेशक द्वारा संप्रति जारी अधिनियम से प्रतीत होता है कि उपरोक्त जमाबंदी रिया सतत अधिनियम के अधिनियम के / अधिनियम की आधार पर / अधिनियम को लेकर बंदोबस्ती के अधिनियम पर / अधिनियम सतत अधिनियम के आधार पर / सतत अधिनियम के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी जमा एवं राज्य को सही करित करना है।

अध्याय निदेशक जमाबंदी से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रिया की जांच की सुविधा जमाबंदी अधिनियम अधिनियम की है, जिसका विहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(b) के तहत जारी किया जाना संघर्ष प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रिया को सही अधिनियम का जमाबंदी पत्र अधिनियम से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मूल जमाबंदी पत्र अधिनियम का, कि यहाँ नहीं उक्त जमाबंदी को अधिनियम के तहत इस विहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(b) के तहत सतत अधिनियम को रर करने हेतु अनुसूचित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 11.6.18 को संशोधित करें।

लेखापिता एवं संशोधित  
अध्याय अधिकारी

11/6/18  
अध्याय अधिकारी

आदेश फलक

अभिलेख

दिनांक

11.4.18.

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैवात का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैवात के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की प्रति एवं अन्य राजस्व दस्तावेजों की प्रति समर्पित किया है/नहीं किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

अभिलेख दिनांक 16.6.18 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर

16.6.18.

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि उपर्युक्त भू-खण्ड गैर आबाद खाला की है। भोजा गोइतोग धाना सं० 184 खाना 78। प्लॉट सं० 2398 कुल रकबा- 1.66 जो जमाबंदी संख्या- /// में निहित है। जमाबंदी रैवातों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज को लगान रसीद समर्पित हैं। वर्णित जमाबंदी बिना साक्ष्य पराधिकारी के आदेश के/अथवा लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबरा दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी सदिश/अथवा प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं०- /// को रद्द करने हेतु जाँच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशसित जाँच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर